नयी पहल

अनुलग्नक–3

कृषि विभाग

- मधुमक्खीपालक किसानों को पहचान पत्र दिया जायेगा ताकि वे आसानी से मधुमक्खियों का अंतर्राज्यीय भ्रमण करा सकें ।
- 10 लाख सहजन के पौधे निःशुल्क वितरित किये जायेंगे ।
- किसान के स्तर पर 200 मेट्रिक टन तक के गोदाम के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा ।

पथ निर्माण विभाग

- पटना में गंगा के किनारे 2234 करोड़ की लागत से 21 कि0 मी0 लम्बाई के गंगा–पथ के निर्माण का निर्णय लिया गया है । इस वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंत तक RFQआमंत्रित करने की कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी ।
- पटना शहर में अशोक राज पथ पर यातायात के दवाब को कम करने के लिए सैदपुर नाला पर 6.785 कि0 मी0 पथ की कुल लम्बाई में से प्रथम चरण में नाला के दक्षिणी भाग में 3.70 कि0 मी0 लम्बाई में 17.32 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण किया जायेगा । वर्ष 2012–13 में पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

जल संसाधन विभाग

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दुर्गावती जलाशय योजनाकी स्वीकृति प्रदान की गयी है । मार्च 2014 तक इस योजना को पूर्ण कर रोहतास और कैमूर जिले के 33,467 हे0 कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित की जा सकेगी ।

आपदा प्रबंधन विभाग

- वित्तीय वर्ष 2012–13 में भूकम्परोधी निर्माण कार्यों हेतु अभियंताओं/वास्तुविदों/भवन निर्माताओं एवं 15 हजार राज मिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।
- प्राकृतिक आपदाओं से हुई मृत्यु के कारण अनुग्रह अनुदान की राशि 1 लाख रू0 से बढ़ाकर 1.5 लाख रू0 प्रति मृतक किया गया है । प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत के सभी प्रावधानों में 25 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की गयी है ।

पर्यावरण एवं वन विभाग

- 8 स्थानों यथा मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया, राजगीर, डेहरी बक्सर, कटिहार एवं बांका में हाईटेक नर्सरी, 63 विभागीय स्थाई पौधशाला में उच्च्य गुणवत्ता के पौधे तैयार करने तथा उद्यान विभाग द्वारा कुल 100 पौधशालाओं का स्थानान्तरण वन विभाग को किया गया है, जिसका रकवा 136.5 एकड़ का है । वर्ष 2012–13 इनमें से 82 पौधशालाओं को आरम्भ किया जायेगा ।
- किसान पौधशाला : राज्य में 1500 एकड़ किसानों को भूमि पर पॉपलर के पौधों के लिए पौधशाला स्थापित करने की योजना है । प्रत्येक पौधशाला की क्षमता 10000 पौधों की होगी ।

- निजी पौधाशाला : पॉप्लर के पौधों के अतिरिक्त अन्य प्रजाति के पौधों के उगाने के लिए 20000 पौधों की क्षमता के 115 पौधशालायें किसानों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा स्थापित करने का कार्यक्रम है ।
- वर्ष 2012–13 में संजय गांधी जैविक उद्यान में नये जानवर यथा तेंदुआ, जंगली बिल्ली, लेपर्ड कैट एवं चिम्पाजी की प्राप्ति एवं नयी संरचनाओं का निर्माण कर इसे आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है ।
- वर्ष 2012–13 में पटना में वन भवन मुख्यालय का निर्माण प्रस्तावित है ।
- वर्ष 2012–13 में गया में 'बिहार वन अकादमी' स्थापित करने की योजना है ।
- वर्ष 2012–13 में गया एवं मुजफ्फरपुर में वायुगुणवत्ता प्रबोधन केन्द्र की तथा गया में जीव चिकित्सा अपशिष्ट केन्द्र की स्थापना की जाएगी ।
- पटना के 5 स्थानों पर ध्वनि के स्तर के मूल्यांकन हेतु अनुश्रवण केन्द्र स्थापित किया जायेगा ।
- परिवेशीय वायु गुणवत्ता की जांच के लिये राज्य के नौ शहरों मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, गया, सासाराम, पूर्णियां, दरभंगा, बेतिया, भागलपुर एवं राजगीर में विस्तार किया जायेगा ।
- उद्योगों के संचालनार्थ प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से **consent to operate** का नवीनीकरण **(Renewal)** प्रतिवर्ष करने के प्रावधान को 3 वर्ष किया जा रहा है ।

शिक्षा विभाग

- मौलाना मजहरूल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालयों को मार्च' 2008 से 16 वर्षों की लम्बी शिथिलता के बाद कार्यशील बनाया गया है । विश्वविद्यालय द्वारा 80 ज्ञान संसाधन केन्द्रों तथा 117 फाजिल स्तर के मदरसों से जुड़े लगभग 14000 छात्र/छात्राओं के पठन–पाठन एवं परीक्षा का आयोजन एवं अन्य कार्य का निष्पादन किया गया है । पहली बार विश्वविद्यालय को वित्तीय वर्ष 2011–12 में 9.19 करोड़ की राशि दी गई है । इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के लिए 25 एकड़ भूमि अधिग्रहण करने की कार्रवाई की जा रही है । वर्ष 2012–13 में भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जायेगा ।

विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग

- वर्ष 2012–13 में रोहतास एवं मुंगेर जिला में नया अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है।
- जमुई, सुपौल एवं कैमूर जिला में नया पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति तथा उक्त संस्थानों में भवनादि के निर्माण प्रति संस्थान रु॰ 26.43 करोड़ रू0 के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
- दरभंगा एवं गया में नया तारामंडल के निर्माण तथा पटना में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर के साइंस सिटी का निर्माण वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित है।

ग्रामीण विकास विभाग

- आजीविका योजना के क्रियान्वयन हेतु 2021–22 तक कुल 9200 करोड़ रू0 की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।
- अगले 10 वर्षों में 1.25 करोड़ महिलाओं के 10 लाख स्वयं सहायता समूह–बसावट के आधार, 65 हजार ग्राम संगठन, 1600 संकुल स्तरीय परिसंघ तथा 534 प्रखंड स्तरीय परिसंघ गठित होंगे।

- आजीविका मिशन के माध्यम से युवकों को रोजगार उन्मुखी कौशल संवर्द्धन किया जायेगा। वर्ष 2012–13 में 1 लाख युवकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। अगले 10 वर्षों में 15 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जायेगा।

योजना एवं विकास विभाग

- राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की अनुशंसा के आधार पर राज्य सांख्यिकी सुदृढ़ कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके लिए वर्ष 2011–12 से वर्ष 2014–15 की अवधि के लिए भारत सरकार से 92.30 करोड़ राशि की स्वीकृति मिली है। इसके अंतर्गत राज्य, प्रमंडल, जिला एवं प्रखंड स्तर तक क्षमता विकसित करने तथा मूलभूत आधारभूत संरचनाएं सृजित की जायेगी।
- राज्य में सांख्यिकी संरचना को आधुनिक रूप देने हेतु समग्र सांख्यिकी विकास योजना स्वीकृत की गई है। इसके अंतर्गत मुख्य फसलों का उत्पादन, फसल कटनी प्रयोग, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की स्थापना एवं कृषि मूल्यों का अनुश्रवण प्रमुख है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

भूमि विशेष सर्वेक्षण

- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोवस्त अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत राज्य के ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के सभी भू–खंडो का अद्यतन खतियान एवं मानचित्र का निर्माण किया जाना है। आधुनिक तकनीक के रूप में **Hybrid Survey Methodology Using Aerial Photography & Ground Truthing with TS/DGPS** विकल्प का चयन किया गया है। निविदा के आधार पर 14994/–प्रति वर्ग कि0मी0 (सभी कर सहित) का दर स्वीकृत किया गया है।

चकबन्दी

- राज्य के कृषि के विकास का एक महत्वपूर्ण बिन्दु जोतो की चकबंदी है जिसके द्वारा छोटे छोटे भूखंडों के चकबन्दी कर प्रत्येक कृषक हेतु एक ही स्थान पर चक लगाया जाएगा जिसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने में सुविधा होगी। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जैसे जैसे राजस्व ग्रामों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण होता जाएगा वैसे वैसे उन राजस्व ग्रामों में चकबंदी प्रचालन प्रारम्भ कर दिया जाएगा एवं 5 वर्षों में सम्पूर्ण राज्य में जोतों की चकबंदी कर ली जाएगी। चकबंदी के कार्य हेतु सर्वेक्षण कार्य में लगे हुए कर्मियों की सेवा चकबंदी हेतु ली जा सकेगी। वर्ष 2012–13 में 150 ग्राम का चकबंदी कार्य पूर्ण करने लक्ष्य है।

नगर विकास एवं आवास विभाग

- समेकित आवास एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 20 शहरों की परियोजना स्वीकृत हुई है। इसमें से 14 शहरों की परियोजनाओं पर प्रथम चरण मे काम पूर्ण हो चुका है। वर्ष 2012–13 में मुंगेर, अररिया, मधेपुरा एवं सहरसा में उपर्युक्त योजना के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।
- अगले 5 वर्षों में आवास बोर्ड ने राज्य भर में एक लाख आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। ये योजनाएं मुख्यतः जन–निजी भागीदारी पर तैयार की जाएंगी और निर्माण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय गुणवता के स्तर का होगा। इस हेतु विश्वस्तरीय कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट नियुक्त किये गए हैं।
- प्रथम चरण में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में लगभग 25,000 फ्लैटों तथा साथ ही व्यवसायिक संरचनाओं यथा मॉल, मल्टीप्लेक्स, ऑफिस कॉम्पलक्स, होटल आदि के निर्माण का कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रस्तावित है।

उद्योग विभाग

- 'बियाडा' में अकार्यरत इकाईयों को प्रदत्त भूमि के संबंध में वर्ष 2012–13 में एक नई 'Exit Policy' लाई जाएगी और भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया (Transfer Policy) का सरलीकरण किया जाएगा। इसी प्रकार लीज डीड निबंधन में भी व्यापक सुधार की कार्रवाई की जाएगी। सेवा के अधिकार के तर्ज पर ही आगामी वर्ष में 'बियाडा' के प्रत्येक प्रक्रिया के लिए समय का निर्धारण किया जाएगा।
- वर्ष 2012–13 में उद्योग विभाग द्वारा उद्यामियों के परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए "उद्योग मित्र" कार्यालय में नई व्यवस्था की जा रही है ताकि उद्यमियों की परियोजनाओं का निरंतर अनुश्रवण हो सके।
- वर्ष 2012–13 में 'सिंगल विन्डो' प्रणाली में सुधार की दिशा में व्यापक कदम उठाए जाएंगे।
- 'भूमि बैंक' विकसित करने के लिए 'लैण्ड बैंक' के साथ–साथ "आओ बिहार" कार्यक्रम को आगामी वर्ष में पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा। भूमि की समस्या से निबटने के लिए सरकार के समक्ष निजी औद्योगिक क्षेत्रों (Private Industrial Area) सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है।
- कुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों एवं हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करने हेतु वर्ष 2012–13 में 'उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान' में व्यापक परिवर्त्तन लाकर उसे पुनर्गठित किया जाएगा। हस्तकरघा के क्षेत्र में कार्यरत बुनकरों के समग्र विकास के लिए नई योजना लागू की जा रही है। तसर के क्षेत्र में विकास के लिए एक नई योजना अगले चार वर्षों के लिए लागू की जाएगी। खादी प्रक्षेत्र की 82 संस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक नई योजना कार्यान्वित की जाएगी।

सूचना प्रावैद्यिकी विभाग

- राज्य सरकार द्वारा अपने ई–शासन कार्यक्रम के तहत् फोकानिया एवं फाजिल स्तर तक संचालित कुल 188 मदरसा एवं वास्तानियाँ स्तर तक संचालित 76 मदरसा यानि कुल 264 मदरसों में 28.24 करोड़ की लागत से छात्रों के कम्प्यूटर उपयोग की शिक्षा हेतु योजना की स्वीकृति दी गई है।
- राज्य मुख्यालय स्थित सभी विभागों के निदेशालयों में उच्च कोटि के कम्प्यूटर सम्बद्धता (Networking) प्रदान करने हेतु SECLAN योजना के तहत सभी विभागों के माननीय मंत्रीगण को Video Conferencing की सुविधा प्रदान करने हेतु भी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके माध्यम से विभिन्न कार्यालयों के प्रधानों के साथ योजनाओं के संबंध में जानकारी एवं आवश्यक समीक्षा कर सकेगे।

श्रम संसाधन विभाग

- वर्ष 2012–13 में 5 नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 2 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जहानाबाद, ठाकुरगंज, सेमरा बाजार(बेतिया), सीवान एवं तेतरिया(टेकारी, गया) तथा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सहरसा, मुंगेर एवं सीवान के भवनों का निर्माण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

विधि विभाग

- राज्य की वकालतखानों का निर्माण एवं मरम्मति कार्य क्रमबद्ध ढ़ंग से कराने हेतु राज्य सरकार निधि उपलब्ध कराएगी एवं BAR LIBRARY को भी अनुदान प्रदान करेगी।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- पहली बार राज्य खाद्य निगम द्वारा अपने सभी 540 धान क्रय केन्द्रों पर नमी–मापक यंत्र लगाने की कार्रवाई की जा रही है।

- वित्तीय वर्ष 2011–12 में निगम द्वारा 55 गोदामों में इलेक्ट्रॉनिक तौल–मापक यंत्र लगा दिया गया है, ताकि जन वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं को खाद्यान्न की आपूर्त्ति करने में तौल की शुद्धता बनी रही, शेष गोदामों में वर्ष 2012–13 में इस यंत्र को लगाने की कार्रवाई कर ली जायेंगी।
- वित्तीय वर्ष 2011–12 में निगम द्वारा बिहार राज्य के प्रखंड परिसर एवं कृषि उत्पादन बाजार समिति प्रांगण में खाली भू–खंड पर 2.84 लाख मे0टन भण्डारण क्षमता का 423 गोदामों के निर्माण हेतु नाबार्ड द्वारा कुल 157.64 करोड़ रू0 का ऋण तथा शेष 49.92 करोड़ रू0 राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। जून' 2012 तक पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2012–13 में डोर–स्टेप–डिलेवरी के अंतर्गत उचित मुल्य के दुकानों तक खाद्यान्न का परिवहन कर जन वितरण प्रणाली के बिक्रेताओं को आपूर्त्ति करने की योजना है।

पर्यटन विभाग

- नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर में अवस्थित घोड़ा कटोरा में भगवान बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की जानी है। इस स्थल को पर्यटकों के बीच इको–टूरिज्म अथवा नेचर टूरिज्म के रूप में विकसित किया जायेगा ।

भवन निर्माण विभाग

- विधायक आवासन परियोजना के अंतर्गत 325 डुप्लेक्स बंगलों तथा दो हॉस्टल के निर्माण हेतु 307. 73 करोड़, नियोजन भवन, पटना के निर्माण हेतु 93.14 करोड़, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केन्द्र पटना के भवन निर्माण हेतु 274.24 करोड़ रू0 की योजना है।

वित्त विभाग

- 13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में सभी राज्य कर्मियों का **Employees Database** तैयार किया जा रहा है।
- भविष्य निधि निदेशालय में भविष्य निधि अंशदान एवं अग्रिम मॉड्यूल तैयार किया गया है जिससे **GPF** को **Online** किए जाने में सुविधा होगी। आगामी छः महीने के अंदर भविष्य निधि लेखा के अद्यतनीकरण का लक्ष्य है।
- राज्य कर्मियों द्वारा लिए जानेवाले विभिन्न प्रकार के अग्रिमों के पर्यवेक्षण हेतु **CTMIS** में एक नए अग्रिम मॉड्यूल की व्यवस्था लागू की गयी है जिससे प्रत्येक माह अग्रिम के विरूद्ध जमा होनेवाली राशि तथा शेष अग्रिम राशि की विवरणी राज्य कर्मियों द्वारा कम्प्यूटर के माध्यम से स्वयं प्राप्त की जा सकेगी।